XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 110–दो/15 जिला – आगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-4-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, नलखेड़ा जिला आगर के प्र0क0 24/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 30–10–14 के विरूद्ध पेश की गई है । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा अपील अनुपस्थिति में समाप्त की गई थी । अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 35(3) के तहत आवेदन दिए जाने पर उसे स्वीकार किया गया तथा आवेदक को सूचनापत्र जारी किए जाने के निर्देश दिए हैं । इसके बाद इसके बाद आवेदक की ओर से संहिता की धारा 32 का आवेदन पेश की गई जिसकी प्रति अनावेदक को दिए जाने के निर्देश हैं । प्रकरण में अभी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर उभयपक्ष को उपलब्ध है ऐसी स्थिति में इस निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य नहीं है । परिणामतः यह निगरानी आवेदनपत्र अग्राह्य किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांकः- /१४ निगरानी R-110-II-15

14.1.15

प्रार्थी अभिभाषक श्री ए. आर. ... द्वारा प्रस्तुत दिनांक 24-12-14 अधीक्षक आयुक्त कार्यालय उज्जैन

तुफेरएहमद पिता मकबुलएहमद उम्र ४५ साल निवासी नलखेड़ा तहसील नलखेड़ा जिला आगर (म.प्र.)

..........आवेदक

विरूद्ध

पीरखॉ पिता भिखारीखॉ उम्र ६५ साल निवासी भैंसोदारोड़ नलखेड़ा तहसील नलखेड़ा जिला आगर (म.प्र)

........अनावेदक

4183
24/12/14

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा ५० म०प्र०भू०राजस्व संहिता

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय नलखेड़ा जिला आगर के प्रकरण क्रमांक २४/अपील/१२.१३ में पारित आदेश दिनांक ३०/१०/१४ से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के ... पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है।